बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 05/2025. –..... श्रीमती नूतन, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी के विरूद्ध मोतिहारी जिले में पदस्थापन काल में केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी लापरवाही के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं होने संबंधी आरोपों के लिये आरोप–पत्र गठित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 238 नि॰गो॰, दिनांक 04.06.2025 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया।

उक्त गठित आरोप–पत्र के संदर्भ में श्रीमती नूतन से विभागीय पत्रांक 230 नि॰गो॰, दिनांक 28.05.2025 द्वारा बचाव–बयान की मांग की गयी। उक्त आलोक में श्रीमती नूतन के द्वारा पत्रांक 01, दिनांक 12.06.2025 से बचाव–बयान समर्पित किया गया। श्रीमती नूतन के द्वारा समर्पित बचाव–बयान में अंकित तथ्यों की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती नूतन के पदस्थापन अवधि दिनांक 01.07.2024 से 04.06.2025 तक केन्द्र प्रायोजित योजना में भौतिक उपलब्धि 46.28 प्रतिशत एवं वित्तीय उपलब्धि 18.06 प्रतिशत हुई है। राज्य योजना में वित्तीय उपलब्धि मात्र 18.22 प्रतिशत हुई है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2025 तक का भौतिक उपलब्धि 44.33 प्रतिशत तथा वित्तीय उपलब्धि 53.98 प्रतिशत है। श्रीमती नूतन के मोतिहारी जिले में पदस्थापन काल तक उपलब्धि कम थी परंतु वर्त्तमान समय में योजना में उत्तरोतर प्रगति हुई है, लेकिन यह प्रगति उत्तम Season (अप्रैल–जून) महीने बीत जाने के बाद भी निराशाजनक बना हुआ है।

उक्त आलोक में समीक्षोपरांत श्रीमती नूतन के बचाव–बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा सरकार द्वारा श्रीमती नूतन को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत आरोप वर्ष 2024–25 के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्रीमती नूतन, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित (निलंबनावधि निर्धारित कार्यालय–उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, मुजफ्फरपुर) को :–

1. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत आरोप वर्ष 2024–25 के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।
2. तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
3. श्रीमती नूतन के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जायेगा।
4. श्रीमती नूतन निलंबन से मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में ***डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना*** में योगदान देना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 05/2025– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 05/2025– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/मोतिहारी/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 05/2025– 39 नि॰गो॰/ पटना–15, दिनांक–28.01.2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, मुजफ्फरपुर/जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/श्रीमती नूतन, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 2/विभागीय आई॰टी॰ प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/2026

सरकार के अपर सचिव।

51